

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 228A/2015-16

विवादो कारुवाँ बनाम दुर्गा चरण मुखी

:: आदेशः

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

2-6-2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता विवादो कारुवाँ, पिता स्व० सुखराम कारुवाँ, ग्राम-बुरुडीह, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता दुर्गाचरण मुखी पिता श्री कृष्णो मुखी, ग्राम-बुरुडीह, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार अवशेष भूमि 2.00 एकड़ से कम है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।